न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रसद अपील :: 48/2017
आर.सी.एम.एस. नं. :: 2017/00313

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट
लक्ष्मी पत्नि भीमाराम जाति मेघवाल, प्रोपराईटर मैसर्स लक्ष्मी पत्नि भीमाराम जाति मेघवाल, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम कराडी तहसील मारवाड जंक्शन		सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थित :–
1. श्री महेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट उपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक-7.01.2020

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ई–पीडीएस योजना के तहत पॉस मशीनों के माध्यम से किये गये ट्रान्जेक्शन की रिपोर्ट दिनांक 01.04.2016 से 31.08.2016 तक की समीक्षा करने पर यह पाया कि अपीलाण्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड आई0डी0 को एक से अधिक राशन कार्डो में उपयोग कर सात क्विंटल गेहूँ व 88 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब कर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, उसके पश्चात अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए उसकी समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2016 को प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने का तथा प्रवर्तन निरीक्षक को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, किन्तु प्रकरण में उक्त निर्देशों की पालना नही की तथा न ही आज दिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के नाम जारी प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने के पश्चात राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8(2) तहत तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17 (45) खा.वि./न्याय/2011 जयपुर, दिनांक 18.10.2017 के अनुसार प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि के पश्चात 90 दिवस की अवधि में प्रकरण का निस्तारण आवश्यक रूप से करना चाहिए था, लेकिन उन्होने ऐसा नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलाण्ट की दुकान ग्रामीण इलाके में है तथा अपीलाण्ट के ग्राहक वृद्ध एवं गरीब व्यक्ति होने के कारण उनके अंगुठा निशान पॉश मशीन से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सत्यापित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा उनको ओ0टो0पी0 के लिये कहा गया, किन्तु उनके पास मोबाईल नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र ओमप्रकाश एवं उसकी पत्नि रेणू के आधार कार्ड व फिंगर प्रिन्ट लगा कर राशन सामग्री वितरित की गई है। अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी भी राशन कार्ड धारक द्वारा यह शिकायत नही की गई है कि उनको राशन का वितरण नही हुआ है। इस सम्बन्ध में राशन धारकों ने अपने शपथ पत्र जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये है, किन्तु जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के पहले ही जैर अपील आदेश पारित किये जाने के कारण उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षित नही किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट के नाम जारी प्राधिकार पत्र मय प्रतिभूति राशि को बहाल कराने का आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। इस संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई चाराजोही नही की तथा न ही कोई जवाब आदि प्रस्तुत किया तथा यदि पॉश मशीनों में राशनधारकों के अंगुष्ठ निशान स्वीकार नही किये जा रहे थे अथवा राशनधारकों के पास मोबाईल नही थे, तो इसकी सूचना अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जानी थी, जो नही की जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के आधार कार्ड एवं फिंगरप्रिन्ट के आधार पर राशन सामग्री का भुगतान किया गया, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ई–पीडीएस योजना के तहत पॉस मशीनों के माध्यम से किये गये ट्रान्जेक्शन की रिपोर्ट दिनांक 01.04.2016 से 31.08.2016 तक की समीक्षा करने पर यह पाया कि अपीलाण्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड आई0डी0 को एक से अधिक राशन कार्डो में उपयोग कर सात क्विंटल गेहूँ व 88 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब कर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, उसके पश्चात अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए उसकी समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2016 को जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 84/2016 दर्ज कर जरिये आदेश क्रमांक रसद/अभि./वि.प्र./16/936 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया है तथा इसके पश्चात उन्होंने आदेश क्रमांक रसद/अभियोजन/वि.प्र./17/1540 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा लगभग नौ माह पश्चात अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया, जबकि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8(2) तहत तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17 (45) खा.वि./न्याय/2011 जयपुर, दिनांक 18.10.2017 के अनुसार प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि के पश्चात 90 दिवस की अवधि में प्रकरण का निस्तारण आवश्यक रूप से करना चाहिए था लेकिन जिला रसद अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, पाली ने दिनांक 24.11.2016 को अपीलाण्ट का प्राधिकार निलम्बित करते हुए प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश नहीं की है तथा रिपोर्ट से संबंधित

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दस्तावेज भी उनकी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट ने उक्त रिपोर्ट प्राप्त किए बगैर ही निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध ई–पीडीएस योजना के तहत पॉस मशीनों के माध्यम से किये गये ट्रान्जेक्शन की रिपोर्ट दिनांक 01.04.2016 से 31.08.2016 तक की समीक्षा करने पर यह पाया कि अपीलाण्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड आई0डी0 को एक से अधिक राशन कार्डो में उपयोग किया गया है, जिसके संबंध में अपीलाण्ट भी यह कथन कर रहा है कि उसकी दुकान ग्रामीण इलाके में है तथा ग्राहक वृद्ध एवं गरीब व्यक्ति होने के कारण उनके अंगुठा निशान पॉश मशीन से सत्यापित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा उनको ओ0टो0पी0 के लिये कहा गया, किन्तु उनके पास मोबाईल नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र ओमप्रकाश एवं उसकी पत्नि रेणू के आधार कार्ड व फिंगर प्रिन्ट लगा कर राशन सामग्री वितरित की गई है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की फर्जी राशन सामग्री उठाई होती तो, उसके द्वारा शिकायत की जानी चाहिए थी, लेकिन पत्रावली पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एक भी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई शिकायत की गई हो उपलब्ध नहीं है तथा करीब 20 व्यक्तियों ने शपथ पत्र पेश कर यह उल्लेख किया कि उनके पास मोबाईल नहीं है तथा उनके कहने पर ही अपीलाण्ट ने उसके पुत्र व पुत्री के आधार का उपयोग कर उन्हें सामग्री दी है व अपीलाण्ट ने किसी प्रकार की मिलीभगत व कालाबाजारी नहीं की है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, पाली के विभागीय प्रकरण सं. 84/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

यह आदेश आज दिनांक 9/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली